न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट (दौसा)

किस्म मुकदमा (फर्द अहकाम (नियम 26) फार्म 111

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज सीमा देवी आदि बनाम राजस्थान सरकार मु0 नं0 11/21 वाद पत्र दुरूस्ती नक्शा ट्रेस	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27/7/2021	पत्रावली पेश हुयी। प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान आराजी खसरा नं0 837 रकबा 05 हैक्टयर वाकै ग्राम देवली तहसील लालसोट जिला दौसा वादीनी की खातेदारी भूमि है। जमाबंदी सम्वत् 2074 से 2077 संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। उक्त वर्णित आराजीयात भूमि के राजस्व रिकार्ड के गत खसरा नं0 859/512 थे जिसकी राजस्व विभाग ने नवीन नक्शा ट्रेस में खसरा नं0 837 वास्तविकता में पुराने खसरा नं0 859/512 ही है जो कि पुराने नक्शा ट्रेस में दक्षिण दिशा में स्थित है तथ वादीनीगण उक्त आराजी में दक्षिण दिशा वाली कृषि भूमि पर ही काबिज काश्त कर रही है परन्तु राजस्व विभाग के मातहत कर्मचारीयो द्वारा भूलवश, गफलत में खसरा नं0 837 के नवीन नक्शा ट्रेस में उत्तर दिशा में बताया गया है जो कि गलत है एवम् नक्शा ट्रेस में उक्त गलती को दुरूस्त कर खसरा नं0 837 को उत्तर दिशा में उक्त अवैध तरमीम को दुरूस्त किया जाना न्यायालय एवं कानूनन आवश्यक है। वादग्रस्त आराजी के गत खसरा नं0 837 में स्थित कृषि भूमि वादीनी की संयुक्त कृषि भूमि है जिस पर वादीनी अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त होकर लगान सरकारी अदा कर लाभान्वित होती चली आ रही है। परन्तु राजस्व एजेन्सी द्वारा मौके पर काबिज अनुसार तरमीम न की जाकर मनमुताबिक राजस्व रिकार्ड में अवैध रूप से कब्जे के विपरित नक्शा ट्रेस में अवैध तरमीम की गई है अवैध तरमीम को निरस्त किया जाकर अप्रार्थी द्वारा मौके पर कब्जे अनुसार व राजस्व रिकार्ड पुराने नक्शा ट्रैस के अनुसार अंकित करते हुए पुनः तरमीम नक्शा ट्रेस में करवाया जाना न्यायोचित व आवश्यक है। विवादित आराजी गत खसरा नं0 837 के नवीन खसरा नं0 859/512 की राजस्व नक्शा ट्रेस में सही तरमीम नही होने के कारण सहखातेदारो के बीच में विवाद की स्थिति उत्पन्न नहो गयी है तथा मुताबिक कब्जे अनुसार अंकित नही करते हुये तरमीम नही की गई है बल्कि मौके की वास्तविक स्थिति से भिन्न तरमीम की गई है। दिनांक	

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज.)

10–02–2021 को वादीनी प्रतिवादी के पास नक्शा ट्रेस में हुयी गलती को दुरूस्त कराने कई तो प्रतिवादी वादीनी को न्यायालय का आदेश लाने का निर्देश दिया। वादीनी कानूनन मुश्तहक है कि माननीय न्यायालय से इस आशय की डिक्री इन्दाज दुरूस्ती प्राप्त करे कि प्रतिवादी आराजी वादग्रस्त के वर्तमान राजस्व नक्शे में आराजी खसरा नं0 837 को पुराने खसरा नं0 859/512 के अनुसार दुरूस्त कर वादीनी के हिस्से की कृषि भूमि उत्तर दिशा के स्थान पर दक्षिण दिशा में तरमीम कर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करें।

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र श्री ब्रजपाल सिंह रछौया एडवोकेट ने पेश किया। कार्यालय रिपोर्ट ली जाकर अप्रार्थी की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी से रिपोर्ट तलब करने हेतू तहरीर जारी कि गयी जिस पर अप्रार्थी ने अपनी रिपोर्ट पेश किया जो शामिल पत्रावली की गई। उभय पक्षकारान बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वर्तमान राजस्व नक्शे में आराजी खसरा नं0 837 को पुराने खसरा नं0 859/512 के अनुसार दुरूस्त कर वादीनी के हिस्से की कृषि भूमि उत्तर दिशा के स्थान पर दक्षिण दिशा में तरमीम कर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किये जाने योग्य है जिसे शुद्व करवाये जाने का निवेदन किया। हमने पत्रावली व पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो व तहसीलदार लालसोट की रिपोर्ट का अवलोकन व मनन किया। जिससे हम इस निष्कर्ष पर पहुचते है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वादीन का वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है अतः वादीनी का वाद पत्र इस आशय से स्वीकार किया जाता है कि वर्तमान राजस्व नक्शे में आराजी खसरा नं0 837 को पुराने खसरा नं0 859/512 के अनुसार दुरूस्त कर वादीनी के हिस्से की कृषि भूमि उत्तर दिशा के स्थान पर दक्षिण दिशा में तरमीम कर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया जाता है। इस आशय की तहरीर तहसीलदार लालसोट जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17/7/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय से सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज.)